क्रमांक 3508-4 जी0एस0-1-73/18540

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला तथा हिसार मण्डल, सभी उपायुक्त तथा उप-मण्डल अधिकारी, हरियाणा ।

2. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट तथा सभी जिला तथा सत्र न्यायाधीश, हरियाणा ।

दिनांक चण्डीगढ़, 19 जुलाई, 1973 ।

विषय : उच्च पदों पर कर्मचारियों/अधिकारियों की पदोन्नति के लिये अपनाई गई नीति ।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है, कि उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान दिलाऊं और कहूं कि उच्च पदों पर कर्मचारियों की पदोन्नति के लिये अपनाई जाने वाली नीति के बारे विस्तारपूर्वक हिदायतें सरकार के परिपत्र क्रमांक 931-4 जी0एस0-1-72/10308, दिनांक 13-4-1972 तथा 2759-4 जी0एस0-1-73/12854, दिनांक 21-5-1973 द्वारा जारी की हुई है । जिन कर्मचारियों का आचरण जांच का विषय हो उनकी पदोन्नति के लिये बारी आने पर अपनाई जाने वाली नीति भी विस्तारपूर्वक सरकार की हिदायतों क्रमांक 6034-2 जी0एस0-1-32498, दिनांक 18-11-71 द्वारा स्पष्ट की हुई हैं। जिन कर्मचारियों को सजा मिल चुकी हो उनके मामलों को पदोन्नति के समय विचारने के बारे में सरकार ने यह उचित समझा है कि ऐसे केसों में नियुक्ति प्राधिकारी/प्रशासकीय विभाग स्वयं(equity & rules of natural justice) को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया करें तथा निम्नलिखित बातें विभिन्न सजायें प्राप्त किये कर्मचारियों के बारे में ध्यान में रखा करें :—

(1) Censure or warning with a copy on the A.C.R. :—ये सजाएं साधारणतः इतनी बड़ी नहीं कि उनके आधार पर किसी कर्मचारी की पदोन्नति रोकी जाये और इन सजाओं को कर्मचारी के पूरे रिकार्ड का भाग समझकर उसको (overall suitability judge) जानी चाहिये ।

(2) Stoppage at an Efficiency Bar : –साधारणतः जो कर्मचारी (Efficiency Bar) पर रोका जाता है वह अपने आपमें ही पदोन्नति के काबिल नहीं होता और उसकी पदोन्नति का तब तक प्रश्न नहीं उठना चाहिये जब तक कि वह (Efficiency Bar cross) न कर लें ।

(3) Withholding of increments or promotion :—जिस कर्मचारी को पदोन्नति आदेशों द्वारा किसी खास अवधि के लिये रोकी जा चुकी है उस बारे में किसी स्पष्टीकरण की आवश्यक्ता प्रतीत नहीं होती । जिस कर्मचारी को एक या एक से अधिक (grade increments) रोकी हुई हैं, उस कर्मचारी की यदि (during the corrency of the stoppage of grade increment/increments) पदोन्नति की बारी आ जाती है तो उसके समूचे रिकार्ड पर । विचार कर ही इस बात पर फैसला किया जाना चाहिये कि वह पदोन्नति के काबिल है या नहीं। यह ठीक है कि यदि उसे पदोन्नति देने का फैसला लिया जाता है तो उसे (grade increments) पर रोकने वाली सजा (ineffective) हो जाती है परन्तु उन मामलों का ध्यान रखा जाना आवश्यक है जिनमें किसी कर्मचारी का बाकी सारा रिकार्ड बहुत अच्छा हो और पदोन्नति का मामला विचाराधीन न हो तो उससे कुछ समय पहले उसे (stoppage of grade increments) की

समय के दौरान पदोन्नति से वंचित रखा जाता है तो इसका असर यह हो सकता है कि एक दूसरा कर्मचारी जो पिछले समय में (grade increments) पर रोका गया था और जिसके केस में सजा का समय समाप्त हो चुका है, वह पहले वाले कर्मचारी की वनिस्वत फायदे में रहेगा, चाहे उसका रिकार्ड कुल मिलाकर पहले वाले कर्मकारी के मुकाबले में बहुत कम अच्छा हो। इसलिये (grade increments) पर रोका हुआ कर्मचारी (grade increments) की (stoppage) दौरान भी पदोन्नति के काबिल समझा जाना चाहिये यदि उसका (overall record) उसको पदोन्नति के योग्य बनाता हो।

(4) Recovery from pay :—यह सजा किसी समय तक (extend) नहीं करती। अतः इस प्रकार की सजा का पदोन्नति के समय समूचे रिकार्ड का भाग समझकर ध्यान में रखा जाना चाहिये।

(5) Reduction in rank :—जिस अधिकारी को (reduction in rank) की बड़ी सजा दी गई हो तो उसे पुनः प्रमोशन के लिये काफी समय के बाद (consider) किया जाना चाहिये जब यह समझा जाये कि इतना समय गुजर गया है कि पहले दी गई सजा को नजर अन्दाज करके fresh opportunity दी जा सकती है।

उपरोक्त सभी सजाओं पर विचार करते समय एक बात हरेक सजा के बारे में ध्यान रखने वाली है। यदि सजा lack of integrity से संबंध रखती है तो उस हालत में पदोन्नति सरकार की हिदायतों क्रमांक 2759-4जी0एस0-1-73/12854 दिनांक 21-5-1973 को ध्यान में रखकर ही की जाए।

कृपया इस पत्र की पावती भेजें।

भवदीय,

हस्ता0/-
उप सचिव, राजनैतिक एवं सेवाएं,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

क्रमांक 3508-4 जी0एस0-1-73/दिनांक चण्डीगढ़, 19 जुलाई, 1973।

एक प्रति सचिव, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड को उनके पत्र क्रमांक 80921/एन0जी0आई0/जी0 दिनांक 7-6-73 के संदर्भ में वित्तायुक्त राजस्व, हरियाणा। सभी प्रासकीय सचिव, हरियाणा सरकार। प्रधान सचिव/सचिव। निजी सचिव, मुख्य मन्त्री/मन्त्रीगण, राज्य मन्त्री, हरियाणा सरकार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।